सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 140/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. उगमा पि. मूला कुमावत
2. गोपाल पि. मूला कुमावत
3. श्रवण पि. मूला कुमावत
4. गंगाराम पि. मूला कुमावत
   निवासीगण पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवी पि. हरजी कुमावत
2. जगदीश पि. हरजी कुमावत
   निवासीगण पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 04.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट पिपलाज में पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। प्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 716 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2102/1 रकबा 0.19 हैक्ट, 2102/2 रकबा 0.19 हैक्ट, 2102/3 रकबा 0.19 हैक्ट, 2102 रकबा 0.19 हैक्ट, जो कि प्रार्थीगण के नाम खातेदार दर्ज है । अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2101 में से प्रार्थना पत्र वर्णित प्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने के लिए रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्राथीगण का कथन है कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी में आने–जाने हेतु छोटा या लम्बा कोई मार्ग उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह शक्तावत ने पावर पेश किया एवं जवाब व मौका रिपोर्ट हेतु समय चाहा गया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प पिपलाज में पेश हुई जहां प्रार्थीगण उपस्थित । पत्रावली में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। तहसीलदार प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम पिपलाज से आमली खेडा जाने वाले रिकॉर्डेड रास्ते से प्रार्थीगण के स्वयं के खातेदारी खसरा नम्बर 2098 व 2099 में होकर अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2101 में होकर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2102 तक वर्तमान में मौके पर रास्ता नही होने से आने जाने में असुविधा हो रही है। अतः खसरा नम्बर 2098 व 2099 व 2101 में होकर 4 मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया है तथा प्रार्थीगण के अपने खातेदारी खेतों में जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। खसरा नम्बर 2098 में से 0.04 हैक्ट., खसरा नम्बर 2099 में से 0.04 हैक्ट. तथा खसरा नम्बर 2101 में से 0.01 हैक्ट भूमि रास्ते के रूप में प्रस्तावित की गई है। अप्रार्थीगण देवी, जगदीश पि. हरजी कुमावत के खातेदारी खसरा नम्बर 2101 में से 0.01 हैक्ट. भूमि रास्ते के रूप में प्रस्तावित की गई है जिसकी डीएलसी दर 233640 से राशि 2337 रूपये बनती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए वाके ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर के जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 716 में वर्णित 2102/1 रकबा 0.19 हैक्ट, 2102/2 रकबा 0.19 हैक्ट, 2102/3 रकबा 0.19 हैक्ट, 2102 रकबा 0. 19 हैक्ट, में आने जाने हेतु रास्ता चाहने बाबत स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम पिपलाज के खसरा नम्बर 2101 में से रकबा 0.01 हैक्ट का रास्ता डीएलसी दर 233640 X 0.01 = 2337 की दुगनी राशी 4674 राशि प्रार्थीगण द्वारा जमा राजकोष या भुगतान किये जाने पर वर्तमान राजस्व मानचित्र में तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय हाजा को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी